


22.4.18

पुणवणी आज राष्ट्रीय लोक अदालत
के चेषा हुई। प्रमाण 023R/CPC
का अवलोकन किया। वादी अपना
दावा नहीं चलाना चाहता है उसका
परिवर्तित से राजीनामा हो चुका है।
अतः दावा वादी व लोक अदालत की
अभिमान से प्रमाण 023R/CPC स्वीकार
कर वापिस लेने की अनुमति दी
जाती है। दावा वादी खारिज किया
जाता है। पुणवणी केसबन्धुम्बर देव
वाचिल दफ्तर है।


मुख्य अधिकारी
औलपर (राज.)